न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कालुसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी थूर तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर		राज्य सरकार जरिए, तहसीलदार जसवंतपुरा जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील — 21/2019

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1-श्री नैनसिंह राजपुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट

2-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-16.09.2019

अपीलान्ट के द्वारा यह अपील तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 शीर्षक सरकार बनाम कालुसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी थूर तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर में पारित आदेश दिनांक 25.06. 2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का थूर द्वारा अपीलांट को खसरा नबंर 669 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर संवंत 2074 में अतिक्रमणकारी घोषित कर नाजायज रूप से कब्जा करने की उक्त रिपोर्ट तहसीलदार जसवंतुपरा को भेजी गई तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा अपीलांट को नोटिस दिया गया।परन्तु तहसीलदार द्वारा बिना सुनवाई के बिना सबूत पेश करने का अवसर दिये प्रस्तुत सबूत पर गौर नही कर अपीलांट को अतिक्रमणकारी घोषित कर अपीलांट को भौतिकरूप से बेदखली व 400/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने व 3 माह यानि 90 दिन का सिविल कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया है।इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट निम्न वजुहातो पर अपील पेश कर रहा है।अदालत मातहत का निर्णय

प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध बिना सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये एक तरफा पारित किये जाने से निरस्त योग्य है।अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का जो नोटिस दिया गया उसमें पश्चातवृति अतिक्रमी होने का कोई उल्लेख नही है जबकि कानूनन धारा 91 के नोटिस में पश्चातवृति अतिक्रमी होने का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है इस कारण भी अदालत मातहत का निर्णय निरस्त योग्य है।अदालत मातहत ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 08.05.2018 में अपीलांट को खसरा नंबर 669 संवंत 2072 में अतिक्रमी मानकर पूर्व प्रकरण संख्या 52/2015 निर्णय दिनांक 19.11.2015 का हवाला दिया है, परन्तु उक्त निर्णय को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जालोर की अदालत द्वारा अपील संख्या 25/2018 निर्णय दिनांक 25.07.2018 को निरस्त कर मामला पुन:अधीनस्थ अदालत को आवश्यक निर्देश देकर निर्णय पारित करने का निर्देश दिया था।परन्तु अधीनस्थ अदालत ने निर्देश की पालना नही कर अपनी मन मर्जी से निर्णय पारित किया है,जो हर सूरत में काबिल निरस्त है।मातहत अदालत ने अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 1/2018 नये सिरे से पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर कायम कर सुनवाई में नियत किया था तथा अपीलांट को वास्ते जवाब व शहादत हेतु नोटिस जारी किया तत्पश्चात आगामी तारीख पेशी 13.04.2018 व 26. 04.2018 व 27.04.2018, 08.05.2018 को पत्रावली साक्ष्य सबूत में नियत रही तथा दिनांक 06.08.2018 को श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 25/2018 दिनांक 25.07.2018 के प्रकरण को पत्रावली पर दिनांक 06.08.2018 को पत्रावली संलग्न कर पुन:सुनवाई के निर्देश ऑर्डरशीट में अंकित है।मातहत अदालत ने नवीन प्रकरण व रिमाण्ड प्रकरण को अलग अलग सुनवाई में नही रखकर दोनो प्रकरणो का एक ही निर्णय पारित किया गया, ऐसी सुरत में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हर सुरत में खारिज है, क्योकि प्रत्येक प्रकरण को अलग अलग सुनवाई की जाकर अलग अलग निर्णय पारित करना कानूनन आवश्यक था, जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय ने नही की है।मातहत अदालत ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की पालना नही कर अपने मन मर्जी से निर्णय पारित किया गया है, पत्रावली पर अपीलांट को कभी भी भौतिकरूप से बंदखल किये जाने का कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर नही है तथा न ही अधीनस्थ अदालत ने स्पष्टरूप से निर्णय में अंकित किया है, कि इस प्रकरण में अपीलांट को भौतिकरूप से बेदखल करने का उल्लेख ही हो इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल खारिज है।अधीनस्थ न्यायालय ने

प्रकरण संख्या 52/2015 के निर्णय का हवाला देकर पुन:अतिक्रमण का आरोप अपीलांट पर आरोपित किया है,जो सही नही है, क्योकि प्रकरण संख्या 52/2015 के हवाले से पूर्व प्रकरण संख्या 1/2018 निर्णय दिनांक 08.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया गया था तथा इस निर्णय के विरूद्ध श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जालोर को प्रस्तुत अपील में इस निर्णय को अपास्त कर पुन:सुनवाई हेतु दिनांक 25.07. 2018 को निर्णय पारित किया गया है।इस कारण भी फैसला काबिल खारिज योग्य है।मौजा थूर के खसरा नंबर 669 रकबा 0.2000 हैक्टयर गैर मुमकिन रास्ता बाबत अपीलांट को अतिक्रमी मानकर नोटिस दिया है जो सही नही है, क्योकि खसरा नबंर 669 के पास ही खसरा नंबर 671 व 670 अपीलांट व सह खातेदारो की खातेदारी भूमि स्थित है व खसरा नंबर 669 के पास ही खसरा नबर 667 व 666की भूमि श्री अमरसिंह पुत्र चिमना वगैराह की खातेदारी स्थित है।खसरा नबर 669 की भूमि पर किसका अतिक्रमण है इस बाबत मुझ अपीलांट ने श्रीमान तहसीलदार जी जसवंतपुरा को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2018 को प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि इस खसरा नंबर 669 की सही पैमाईश की जाकर किसका कितना अतिक्रमण मौके पर उक्त खसरा नबंर 669 में है उसके बाद सभी अतिक्रमणकारियो के साथ अगर मुझ अपीलांट का भी अतिक्रमण साबित होता है तो मै अपना अतिक्रमण स्वंय हटा दूगा।परन्तु इस प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णायक व प्रभावी कार्यवाही तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा नही की गई।अदालत मातहत का फैसला पूर्णतया गैर कानूनी विधि विरूद्ध है जो काबिल खारिज योग्य है।अपीलांट की अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है।लिहाजा अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार जसवंतपुरा का आदेश प्रकरण संख्या 01/2018 दिनांक 25.06.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है कि पटवारी हल्का थूर द्वारा अपीलांट को खसरा नबंर 669 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर संवंत 2074 में अतिक्रमी मानकर अपीलांट के विरूद्ध रिपोर्ट तहसीलदार जसवंतपुरा के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 01/2018 सरकार बनाम कालूसिंह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 03.04.2018 को दर्ज हुआ जिसमें बाद सुनवाई के दिनांक 08.05.2018 को निर्णय किया जाकर अपीलांट को 3 माह यानि 90 दिन के सिविल कारावास की

सजा से दंडित कर बेदखली के साथ रूपये 400/- का जुर्माना भी आरोपित किया गया।इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा श्रीमान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपील संख्या 25/2018 कालूसिंह बनाम सरकार में दिनांक 25.08.2018 को निर्णय पारित हुआ कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाता है।प्रकरण तहसीलदार जसवंतपुरा को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में उपरवर्णित विवेचनानुसार समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर पुन:नियमानुसार विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे।इस प्रकार अपील निर्णय अनुसार तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा प्रकरण दिनांक 06.08.2018 को पुन:दर्ज कर सुनवाई प्रारम्भ की गई।जिसमें अपीलांट को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर नही दिया गया तथा न ही अपीलांट को पश्चात्वती अतिक्रमी होने का नोटिस दिया एवं इस प्रकरण में अपीलांट को पश्चात्वती अतिक्रमी सिद्ध करने के बिना किसी ठोस आधार पर ही अपीलांट को निर्णय दिनांक 25.06.2019 को सिविल कारावास से दंडित कर दिया गया।जबकि अपीलांट का उक्त आराजी पर कई वर्षो से लगातार कब्जा चला आ रहा है।तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा यथावत बना हुआ है।अपीलांट को उक्त आराजी पर से पूर्व में कभी भी बेदखल नही किया गया है।किसी भी अतिक्रमी को बेदखल किया जाने बाद उसके द्वारा पुन:अतिक्रमण करने पर ही पश्चात्वती अतिक्रमी घोषित कर सिविल कारावास के दण्ड से दंडित किया जा सकता है।जबकि इस प्रकरण में पश्चात्वती अतिक्रमी होने के कोई ठोस आधार नही है। इसके समर्थन में विद्धान अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर. आर.डी.2001 बजंरगा बनाम सरकार पृष्ट संख्या 401 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये निवेदन किया कि अपीलांट का उक्त आराजी पर निरन्तर कब्जा रहा है।आज भी मौके पर काबिज है पूर्व में अपीलांट को कभी भी बेदखल नही किया गया है। न ही पश्चात्वती अतिक्रमी होने का नोटिस दिया गया है।ऐसी सूरत में अपीलांट को सिविल कारावास के दण्ड से दंडित किये जाने का आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त करावे।

सरकारी वकील की ओर से तर्क दिया गया कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता होने से सर्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि है। अपीलांट को उक्त भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया था।इसके वाद पुन:अतिक्रमण कर कब्जा करने पर सिविल कारावास से दंडित किया गया है।अपीलांट द्वारा

सरकारी रास्ते को बंद किया है तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी पर अपीलांट स्वंय का कब्जा होना स्वीकार भी कर रहा है।अपीलांट आदतन पश्चात्वती अतिक्रमी होना पाया जाने के आधार पर ही सिविल कारावास के दंण्ड तथा बेदखली व जुर्माने से दंडित किया गया है।जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस के बिन्दुओ पर मनन भी किया गया जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा संवंत 2074 में ग्राम थूर के खसरा नबंर 669 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर पटवारी हल्का थूर द्वारा रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार जसवंतपुरा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । जिसे अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर प्रकरण संख्या 01/2018 सरकार बनाम कालूसिंह में सुनवाई हेतु दिनांक 03.04.2018 को नोटिस जारी किया गया।पेशी तारीख 13.04.2018 को अपीलांट उपस्थित नही होने पर पुन: नोटिस जारी किया गया जिस पर उपस्थित नही होने पर सुनवाई हेतु दिनांक 27.04.2018 निर्धारित की गई। दिनांक 27.04.2018 को अपीलांट (कालूसिंह)द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर शामिल मिसल करते हुए सुनवाई हेतु पेशी तारीख 08.05. 2018 कैम्प थूर रखी गई।अपीलांट को पेशी तारीख की पूर्ण रूप से जानकारी होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहा। दिनांक 08.05.2018 को पटवारी हल्का थूर भंवरी कुमारी द्वारा बयानो में कथन किया गया। कि ग्राम थूर के खसरा नबंर 669 रकबा 0.20 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता पर वर्ष 2018 में कालूसिंह पुत्र बलवंतसिंह कौम राजपूत साकिन थूर ने अतिक्रमण कर कब्जा किया एवं रास्ता अवरूद्ध किया है।ये रेकर्ड में रास्ता दर्ज है।गत वर्ष भी इसने अतिक्रमण किया था जिसे भू.अ.नि.एवं मौतबरानो के साथ दिनांक 22.12.2017 को मौके से भौतिक बेदखल किया था।आदतन पश्चात्वती अतिक्रमण है एवं रास्ता रोक रखा है इसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर रास्ता खुलवाया जावे। उक्त बयान शामिल पत्रावली कर दिनांक 08.05.2018 को ही तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा निर्णय पारित किया गया जिसमें अपीलांट को सिविल कारावास की सजा तथा बेदखली व जुर्माने से दंडित किया गया।निर्णय दिनांक 08.05. 2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील संख्या 25/2018 निर्णय दिनांक 25.07.2018 में अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। जिसे तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा दिनांक 06.08.2018 को पुन:दर्ज कर जरिए नोटिस अपीलांट को सुनवाई हेतु तलब किया गया।पेशी तारीख 28.01.2019 को अपीलांट द्वारा

तहसीलदार जसवंतपुरा के न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया है, कि उक्त आराजी पर मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया गया है।मुझ कालूसिंह द्वारा जमीन खरीद की हुई है पूर्व से लगाकर वर्तमान समय तक समान आलामात ही है।मेरे द्वारा जानबूझकर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है।सेटलमेन्ट के द्वारा माप करवाकर यदि मेरे हिस्से में जमीन अतिक्रमित हुई है, तो मेरे द्वारा अविलम्ब कब्जा मुक्त कर दी जायेगी। जिस पर अपीलांट को सेटलमेन्ट टीम से नाप करवाने हेतु अवसर दिया गया । दिनांक 20.02.2019 को अपीलांट कालूसिंह द्वारा पुन:प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माह मार्च 2019 में फसल कटते ही जी.पी.एस.से नाप करवाकर यदि मेरे कब्जे में अतिक्रमित रास्ता सिद्ध हुआ तो अविलम्ब राजहित में कब्जा खाली कर सरकार को सपुर्द कर दिया जायेगा इस हेतु अपीलांट को पर्याप्त अवसर दिया गया। दिनांक 18.04.2019 को अपीलांट कालूसिंह द्वारा उपस्थित होकर उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पुन:प्रस्तुत कर प्रकरण को ड्रोप करने का कथन किया गया।आगामी तारीख पेशी 28.05.2019 को निरीक्षक भू.अ.चादूर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा थूर के खसरा नंबर 669 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म रास्ता भूमि पर अतिक्रमण बाबत पत्रावली आपके न्यायालय में लम्बित है।उक्त भूमि पर कालूसिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति राजपूत साकिन थूर द्वारा अतिक्रमण कर रखा है।उक्त भूमि सरकारी भूमि है जो राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज है।मौके पर कालूसिंह द्वारा अतिक्रमण कर रास्ते को बंन्द कर रखा है।पटवारी हल्का के बयानो अनुसार अपीलांट को दिनांक 22.12.2017 को उक्त आराजी पर से बेदखल किया गया था पेशी तारीख 18.04.2019 पर उपस्थित होने हेतु दिनांक 25.03.2019 को नोटिस जारी किया गया जिसमें वर्ष 2072 में अतिचार करने व वर्ष 2074 में अतिचार करने पर अपीलांट को पश्चात्वती अतिचार करने बाबत नोटिस दिया गया था।अपीलांट द्वारा पश्चात्वती अतिचारी नही होने के संबंध में सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही की है। प्रकरण संख्या 52/2015 निर्णय दिनांक 19.11.2015 अनुसार वर्ष 2072 में अपीलांट का उक्त आराजी पर अतिक्रमण रहा है।जिसकी पालना में पटवारी हल्का के बयान अनुसार अपीलांट को दिनांक 22.07.2017 को भौतिक रूप से बेदखल किया जाने एवं पश्चात्वती अतिचारी होने के संबंध में अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नही करने के तथ्यो एवं साक्ष्यो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक

25.06.2019 को निर्णय पारित किया गया है।निर्णय दिनांक 25.06.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 21/2019 में अपीलांट की ईश्तदुआ पर तहसीलदार जसवंतपुरा को पत्रांक/कोर्ट/605 दिनांक 19.07.2019 के जरिये निर्देश दिये गये कि पटवारी/भू.अभिलेख निरीक्षक की टीम का गठन कर पुन:नाप कर अतिक्रमण की स्थिति बाबत प्रत्युतर प्रस्तुत करे।जिस पर तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा पत्रांक/1107 दिनांक 02.08.2019 के जरिये रिपोर्ट पेश की गयी है,कि सभी बिन्दुओ के आधार पर पैमाईश की गई पैमाईश में सर्वे टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त खसरा नंबर 669 रकबा 0.20 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता (राजकीय भूमि)पर कालुसिंह का अनाधिकृत कब्जा है। अतिक्रमी कालूसिंह नाजायज अतिक्रमण हटाने के बजाय बार बार (Unlawful practice) नाजायज कोशिशे एवं अटकलो से अतिक्रमण को बरकरार रखने हेतु आमदा है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन रहे प्रकरण एवं अपील में वर्णित तथ्यो व दस्तावेजी साक्ष्यो के अनुसार तकनीकीय बिन्दुओ की आड में बहाने बनाकर सार्वजनिक उपयोग में आने वाली गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने एवं सिविल कारावास की सजा से मुक्त होने के प्रयास किये गये है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने एवं साक्ष्यो के आधार पर दिनांक 25.06.2019 को विधिसम्मत न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण कर निर्णय किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य नही है।

अत:उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 सरकार बनाम कालूसिंह निर्णय दिनांक 25.06.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने योग्य नही होना पाया जाने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से क्रम हो।

SD/-
(महेन्द्रसोनी)
जिला कलेक्ट, जालोर

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

SD/-
(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर, जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: